न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 18/2017 दायरा दिनांक : 09.01.2017

उनवान

1— तेजमल आत्मज श्री गोपाल जी, जाति माली, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— केदारनाथ आत्मज श्री रामनाथ जी, जाति माली, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— मनफूल आत्मज श्री श्योजीनाथ, जाति नाथ, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— रघुवीर आत्मज श्री दौलतराम जी, जाति माली, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5— हेमराज आत्मज श्री कल्याण जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— नैनकीलाल आत्मज श्री नन्दलाल, जाति माली, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— गोगराज आत्मज श्री दौलतराम जी, जाति माली, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— गिर्राज आत्मज श्री लड्डू, जाति नाथ, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— धीरेन्द्र उर्फ बन्टी आत्मज श्री लड्डू, जाति नाथ, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– विन्नुबाई पुत्री श्री लड्डू जी, जाति नाथ, निवासी ग्राम मऊ, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4– राधा पुत्री श्री लड्डू जी पत्नी श्री छीतरलाल जी, जाति नाथ, निवासीनी ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा

5– राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री तेजमल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रमेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम जिला कलेक्टर, बारां के आदेश दिनांक 29.07.1999 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पिता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया था कि उनको ग्राम मऊ में खसरा नम्बर 836/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा आराजी आवंटित हुई थी । इस आराजी पर आवंटन से पूर्व श्रीनिवास पुत्र भैरू लाल, रामनाथ पुत्र भैरू लाल, बाबू लाल पुत्र मोरपाल, घनश्याम पुत्र मोरपाल, रामकिशन पुत्र मोरपाल का कब्जा था जिन्होंने वर्तमान में इस आराजी पर मकान बना लिये हैं । आराजी काबिज काश्त नहीं रही है । प्रार्थी के पिता को ग्राम मऊ में खसरा नम्बर 535 में 3 बीघा आराजी आवंटित हुई थी । प्रार्थी के पिता का

देहान्त हो चुका है इस आराजी पर राम देवा पुत्र केसरी लाल का कब्जा चला आ रहा है । दोनों आराजियात काबिज काश्त नहीं रही हैं । प्रार्थी ने ग्राम मऊ की आराजी खसरा नम्बर 771 रकबा 2.16 हेक्टर पर 20 वर्ष से कब्जा किया हुआ है और इसको काबिज काश्त बनाया है । प्रार्थी भूमिहीन है । अतः आवंटन दिनांक 15.01.1981 और दिनांक 12.02.1990 को निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 771 की 2.16 हेक्टर आराजी का आवंटन किया जाये । यह प्रार्थना पत्र पेश होने पर जिला कलेक्टर, बांरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.07.1999 से दिनांक 15.01.1981 को किया गया आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को खसरा नम्बर 771 की 1.56 हेक्टर आराजी आवंटन की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 771 की 2.16 हेक्टर आराजी में से 1.57 हेक्टर आराजी रेस्पोडेंट के पिता लड्डू को आवंटित करने में त्रुटि की है । आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर है । जिला कलेक्टर बारां को सीधे भूमि आवंटन करने का अधिकार नहीं है आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसमें उद्घोषणा जारी होती है आवंटन के चाहने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं और आवंटन कमेटी पात्र व्यक्ति को आवंटन करते हैं गैर मुमकिन बीहड है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है । कई व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं । इस कारण कभी भूमि आवंटन योग्य नहीं थी अधीनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 836 और 533 के आवंटन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बदलने का अधिकार नहीं था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा होने के

कारण वो हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये । साथ ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.12.2016 को तहसीलदार के नोटिस से हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि लड्डू पुत्र हरजी को दिनांक 15.11.81 को खसरा नम्बर 336 की 6 बीघा 16 बिस्वा आराजी खसरा नम्बर 533 की 3 बीघा आराजी आवंटित हुई थी । विवादित आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा बताकर लड्डू लाल ने खसरा नम्बर 771 रकबा 2.16 हेक्टर आराजी आवंटन की प्रार्थना की है इस प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.07.1999 को रेस्पोडेंट के पिता लड्डू लाल को खसरा नम्बर 771 की 1.56 हेक्टर आराजी आवंटित कर दी । जिला कलेक्टर को आवंटन का अधिकार नहीं है । धारा 22 में आवंटन की एक प्रक्रिया है जिसके अनुसरण में आवंटन किया जाता है । आवंटन आवंटन सलाहकार समिति ने नहीं किया है वरन सीधे ही जिला कलेक्टर ने किया है जो कि नियम विरूद्ध है, न तो उद्घोषणा जारी की गई है न आवंटन योग्य भूमि की सूची तैयार की गई है और न ही पात्र व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र लिये गये हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि 99 का आदेश है । अपील गम्भीर रूप से आवधि बाधित है । रेस्पोडेंट के पिता को आवंटित आराजी पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा था तो इस कारण जिला कलेक्टर ने आवंटन आदेश में संशोधन किया है, जो विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने अपील के साथ सरपंच ग्राम पंचायत मऊ द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.12.2013 पेश किया है । तहसीलदार के आदेश की पालना में तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 22.11.2016 की प्रमाणित प्रति सलंग्न है । दौलतराम माली को जारी किया गया नोटिस दिनांक 20.12.2016 की प्रति गोगराज, पुत्र दौलतराम माली, तेजमल के नोटिस के अलावा धारा 91 के तहत जारी किये गये नोटिस की फोटो प्रतियां सलंग्न की गई है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर लड्डू लाल योगी के प्रार्थना पत्र और तहसीलदार की रिपोर्ट सलंग्न की गई है ।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थी लड्डू लाल ने यह कथन किया है कि आवंटित आराजी खसरा नम्बर 836/2 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा और खसरा नम्बर 533 रकबा 3 बीघा पर उसका कब्जा नहीं है और उसका कब्जा खसरा नम्बर 771 रकबा 2.16 हेक्टर आराजी है । इस प्रार्थना पत्र के आधार पर जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के पक्ष में आंवटित आराजी खसरा नम्बर 836 एवं 533 का आवंटन निरस्त किया है और उसे खसरा नम्बर 771 में से 1.56 हेक्टर आराजी आवंटित की है । जहां तक कब्जा नही होने के आधार पर आवंटन को निरस्त करने का प्रश्न है । अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश विधि सम्मत है परन्तु कब्जे के आधार पर विद्वान जिला कलेक्टर ने प्रार्थी को जो खसरा नम्बर 771 की 1.56 हेक्टर आराजी आवंटित की है यह आदेशिका विधि विरूद्ध है क्योंकि राजकीय भूमि किसी व्यक्ति को आवंटन सलाहकार समिति के

द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के तहत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटित की जा सकती है इस हेतु विधिवत रूप से आवंटन के लिए उपरोक्त भूमि की सूची तैयार की जाती है, उद्घोषण जारी की जाती है, पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जाते हैं और उसके उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाकर नियमानुसार आवंटन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन के बाबत आदेश अवैध है और अवैध आदेश को निरस्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । इन तथ्यों के आधार पर अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन कियाक जाता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर रेस्पोडेंटगण के पिता लड्डू लाल के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया खसरा नम्बर 771 रकबा 1.56 हेक्टर आराजी का आवंटन निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा